कुल 16 बीघा 04 बिस्वा (2.6224 हेक्टेयर) की जमाबंदी संवत् 2074-2077 सायलान व गैरसायलान की सह-खातेदारी की शामलाती आराजी है। वादग्रस्त आराजी में सायलान एवं गैरसायलान मौके पर काबिज है। गैरसायलान द्वारा सायलान के मौके एवं हक-हिस्से में दखलन्दाजी कर रहे है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी में सभी खातेदार काश्तकार का इंच इंच पर हक अधिकार निहित होता है, साथ ही एक खातेदार के हक हिस्से में अन्य खातेदार द्वारा दखलन्दाजी की जाना अनुचित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में साबित होता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलन** :- प्रथम दृष्टया मामला गैरसायलान के विरूद्ध साबित हुआ है। साथ ही वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक खातेदार का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है एवं मौके पर किसी अन्य खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी में अन्य सहखातेदारान की कब्जा काश्त की जमीन पर जबरदस्ती दखलअंदाजी करना विधि विरूद्ध है। अतः सायलान के हक तक वादग्रस्त आराजी में सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में ही निहित होना साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दोनों बिंदू सायलान के पक्ष साबित हुए है। हस्तगत प्रकरण में सायलान व गैरसायलान अभिलिखित खातेदार है। गैरसायलान सायलान की मौके व कब्जा काश्त की भूमि पर दखलअंदाजी करते आ रहे है। यदि गैरसायलान अपने मंसूबो में कामयाब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सायलान को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार यदि सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन व दौराने बहस वकील उभयपक्षकारान ने वादग्रस्त आराजी की रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारान का जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद किये जाने की सहमति प्रदान देने के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **उभयपक्षकारान** को वादग्रस्त आराजी का मौके व राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है।

10.2.26

उभयपक्षकारान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद सरहद मौजा देवरिया पटवार हल्का देवरिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर में सायलान एवं गैरसायलान की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा संख्या 338 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा (0.2509 हेक्टेयर) खसरा संख्या 345 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा (1.1898 हेक्टेयर) खसरा संख्या 351 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा (1.1817 हेक्टेयर) कुल 16 बीघा 04 बिस्वा (2.6224 हेक्टेयर) के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)